



केंद्रीय विद्यालय सैन्य स्टेशन, दप्पर
KENDRIYA VIDYALAYA, MILITARY STATION, DAPPAR
जिला -Distt-SAS Nagar (Mohali)-140506
फ़ोन न० PHONE NO. 01762-248606
Website:- www.dappar.kvs.ac.in

Email:- dapparkv@gmail.com

F. 10 (staff welfare)/KV Dappar/2023-24

Date : 26.07.2023

Revised

संशोधित कार्यालय आदेश / Revised Office Order

के०वि०स० (मुख्यालय), नई दिल्ली आदेश संख्या F. 11-55/2000/KVS/(Vig.)/Pt.1/1122-25, दिनांक 05.03.2019 के सन्दर्भ में और कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार, के०वि० दप्पर में महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर किसी भी शिकायत के निवारण के लिए निम्नलिखित आंतरिक शिकायत समिति का गठन तत्काल प्रभाव से किया जाता है।

क्रमांक	नामावली	नामित किया जाने वाला सदस्य	अधिकार क्षेत्र
1.	पीठासीन अधिकारी	श्रीमती स्वाति अग्रवाल, सहायक आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून	के०वि० दप्पर में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच करना।
2.	गैर- सरकारी संगठन सदस्य	श्रीमती मोहिंदर कौर कटारिया, डायरेक्टर एल एस टेकनोलोजी चंडीगढ़	
3.	सदस्य	1. श्रीमती पूजा, पी जी टी वाणिज्य शास्त्र 2. श्रीमती दीपिका, पी जी टी बायो 3. श्री अशोक कुमार भूकल, पी जी टी संगणक विज्ञान	
4.	सदस्य (विद्यालय प्रबंधन समिति)	श्रीमती नम्रता रत्नू, टी जी टी अंग्रेजी	

पीठासीन अधिकारी और उपरोक्त समिति के सदस्य इस आदेश के जारी होने की तिथि से तीन वर्षों से अधिक कार्य नहीं करेंगे। समिति के पीठासीन अधिकारी निम्नलिखित सुनिश्चित करेंगे:-

- जांच संचालन के लिए तारीख और समय तय करने के लिए गैर सरकारी संगठन के सदस्य, अन्य सदस्यों और सम्बंधित उपायुक्त / विद्यालय के साथ समन्वय करें।
- एन जी ओ के सदस्य के साथ समन्वय करें और यात्रा कार्यक्रम की योजना बनाएं और सुविधा प्रदान करें।
- जांच माननीय सुप्रीम कोर्ट के विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य मामले के निर्णय दिनांक 13.08.1997 में निहित दिशा-निर्देशों और मेधा कोतवाल लेले और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य मामले में मानने सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.04.2004 के आदेश के अनुसार की जाएगी।
- महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न के मामले की जांच करते समय एक एनजीओ सदस्य होना अनिवार्य है।
- शिकायत प्राप्त होने की तिथि से एक माह की अवधि के भीतर उसकी टिप्पणियों / सिफारिश तथा विशिष्ट निष्कर्षों और सहायक दस्तावेजों के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत करना है।

अनिता सिंह
26/7/2023
(अनिता सिंह)

प्राचार्या
प्राचार्य / Principal
के० वि० दप्पर KV Dappar